सं0-3/2011/52-3-2013-14(72)/95 टी0सी0

प्रेषकए

देवेश चतुर्वेदी
सचिव
उ0प्र शासन।

सेवा मेंए

1- निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण
उ0प्र0 □□□□□

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 □

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 □

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 □□□□, दिनांक 04 दिसम्बर,2013

विषयः-वित्तीय वर्ष 2013-14 में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजना को आन लाइन किये जाने एवं □□□□ □□क्रियान्वयन हेतु पुनरीक्षित समय सारिणी निर्धारित किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3228/□0□0□0□□0-970/□0□□0□0प्र0/2013-14, दिनांक 18-11-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-4030/52-3-13-14(72)/95टी0□□0, दिनांक 14-1-2013 द्वारा □0प्र0 अल्पसंख्यक दशमोत्तर छ /□ल्कप्रतिपूर्ति योजना □□□□□□□-2012 निर्गत की गयी है।

2- वर्ष 2013-14 में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0-1786/52-3-13-14(72)/95टी0□□0, दिनांक 10-10-2013 द्वारा समय सारिणी निर्धारित की गयी थी। उक्त योजना के शैक्षिक सत्र 2013-14 □□□□ □□□ किये जाने के फलस्वरूप तथा समाज कल्याण द्वारा संचालित दशमोत्त छात्रवृत्ि /□ल्कप्रतिपूर्ति योजना से एकरूपता बनाये जाने के उददेश्य से शासन द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्यक विचारोपरान्त अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/□□त्राओं हेतु निम्नांकित पुनरीक्षित समय सारिणी निर्धारित की जाती है-

क्रमाव	कायेवाहो का ाववरण	प्रस्तावेत काय योजना एव समय सारणा	
		पूवे मे ानधारेत समय सारेणा	प्रस्त प्रस्तावेत पुनरीक्षेत समय सारेणा
1	2	3	4
1	आन लाइन आवेदन भरने को ातोथ आवेदन पत्र सबामेट होने पर अभ्यथी □□ □□0□□0□□0 द्वार सूचेत किया □□□□	30-11-2013 □□	31-12-2013 □□
2	अभ्यथी द्वार □□□ □□□ □□ □□□ आवेदन पत्र को हाडे कापी सलग्नको सांहेत सस्था मे जमा करने आन्तम ातोथ	7-12-2013 □□	07-01-2014 □□
3	ाशेक्षण सस्था द्वार छात्र/□त्रा के ाववरण को जाच एव आन ला सत्यापन कर 1 क्षा ाववभाग व आधकारेयो को प्रोषेत किया जाना अभ्यथी को 0□□0□□0 द्वारा सूचेत किया जायेगा	15-12-2013 □□	20-01-2014 □□
4	सस्था द्वार उपलब्ध कराये गये डाटा पर जनपदीय ाशेक्षा आधकारी द्वारा सस्थाए पाठ्यक्रम एव वास्तावेक छात्र सख्या को प्रमाणेकता के सबध मे अपनी सस्तुते छात्रवृत्ते सामोते को प्रस्तुत करना	31-12-2013 □□	31-01-2014 □□
5	जनपदीय छात्रवृत्ते स्वीकृते सामोते द्वार छात्रवृत्ते एव शुल्कप्रातेपूा स्वीकृत कर वेब साइड पर अपल करना। अभ्यथी को 0□□0□□0 द्वारा सूचेत किया जायेगा।	15-1-2014	20-02-2014
6	छात्र/□त्राओ के खाते मे धनराशे भेजने हेतु आन्तम ातोथ। (अभ्यथी	15-2-2014	15-3-2014

http://shasanadesh.up.nic.in

	□□ □□0□□0□□0 द्वारा सूचित किया □□□□□)		

3- शासन द्वारा संचालित की जा रही नवीन आन लाइन व्यवस्था को सुचारूप रूप से संचालित किये जाने के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकरियों □क्षण संस्थानों/□नपदीय जिलाधिकारियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश संलग्न हैं। □□□□ □□ □□□□ □□□□□द स्तर पर निम्नांकित 04 चरणों में समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है-

(1) संबंधित छात्र/□त्रा द्वारा □ □□□□ □ □□□ □□□□□□ (□□□□□) पश्चात आनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्रति संलग्नकों सहित आवेदन के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि से सात दिनों के अन्दर निश्चित रूप से संबंधित शिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष संबंधित छात्रों से प्राप्त हार्ड कापी के आधार पर आवेदन पत्रों को आनलाईन शिक्षा विभाग को अग्रसारित कर दिया जाय तथा अग्रसारित आवेदन पत्रों की संकलित सूची आवेदन पत्रों सहित संबंधित शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) संबंधित शिक्षा विभाग द्वारा आनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का हार्ड कापी एवं सूची से शिक्षण संस्थान एवं संबंधित छात्र पाठयक्रम आदि की प्रमाणिकता की पुष्टि/आवश्यक परीक्षण/जांच करते हुए पात्र / □त्राओं के आनलाईन आवेदन पत्रों को संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से "□त्रवृत्ति स्वीकृति समिति" □ समिति के स्वीकृतार्थ अग्रसारित किया जायेगा।

(4) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा "□त्रवृत्ति स्वीकृति □□□" द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत छात्र संख्या एवं सृजित मांग □□□□□ □□0□□0□0 □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□, छात्रवृत्ति की वेबसाइट की लाक होने की तिथि के पश्चात वरीयता के अनुसार उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत श्रेणीवार छात्रों की संख्या के आधार पर छात्रवृत्ति, (अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि संबंधित छात्र/□त्राओं के बैंक खाते में अन्तरित किये जाने के उददेश्य

□□□□0 □ □0□□0 के साफटवेयर से विद्यालयवार, बैंकवार एवं छात्रवार मांग की सूची प्राप्त करते हुए कोषागार के माध्यम से ´0 पेमेण्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमानुसार संबंधित पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में धनराशि अन्तरित कराये जाने की कार्यवाही सु□□श्चित की □□□□□

कृपया योजना के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त संशोधित समय सारिणी के साथ दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजना के वितरण के सबंध में नियमावली की व्यवस्था तथा संलग्न निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(देवेश चतुर्वेदी)
□□□□

<u>संख्या-2011(1)-52-3-2013 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(1) समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □0प्र0□
(2) तकनीकी निदेशक, □□0 □ □0□□0□
(3) राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, □□0 □ □0□□0, □0प्र0 □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ प्रेषित कि कृपया इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को ई-□□ □□ माध्यम से भेजे।
(4) □□□□ □□□□□, □0प्र0 □□ □□ □□□□ □□□□□ प्रेषित कि कृपया इस सूचना का प्रसारण विभिन्न समाचार पत्रों एवं दूरभाष के माध्यम से कराने का कष्ट करें।
(5) □□□□ □□□□, □□0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, □0प्र0□
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□□

http://sirsaandesh.up.nic.in